प्रभाती देवी बनाम सहनलाल

प्र.सं. - 117/2023

दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-9-23 को पेश हो। हस्ताक्षर	
22-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29-9-23 को पेश हो। हस्ताक्षर पुनश्च! प्रकरण में वकील वादीया ने मुख्य वादीया के साक्ष्य परीक्षण में मुख्य वादीया प्रभाती देवी पत्नी रिछपाल आयु 70 वर्ष जाति कुमावत तथा मालीराम पुत्र भगवाना जाति कुमावत के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जिन्हें शामिल मिशल किये गये। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 29/09/2023 को पेश हो। हस्ताक्षर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	वादिया नि. प्रभाती गवाह मालीराम उपस्थित
29.09.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। हस्ताक्षर 29/09/23 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
117/2023	2023/213	18.07.2023	29.09.2023

उनवान प्रकरण

1. प्रभाती देवी पत्नी रिछपाल आयु 70 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम दिवराला हाल ससुराल ग्राम नांगल (नाथूसर) तहसील तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादीया——

बनाम

1. मदनलाल पुत्र रिछपाल आयु 48 वर्ष
2. औमप्रकाश पुत्र रिछपाल आयु 43 वर्ष
3. कृष्णकुमार पुत्र रिछपाल आयु 40 वर्ष
4. गिरधारीलाल पुत्र रिछपाल आयु 38 वर्ष
5. फूली पुत्री रिछपाल आयु 45 वर्ष
6. कोयली पुत्री रिछपाल आयु 43 वर्ष
7. तीजा देवी पत्नी रिछपाल आयु 75 वर्ष
   समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
8. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रतिवादीगण ——

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : –

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 वादिया।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0, प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

29/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 2572 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. चाह तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके हिस्सा 1/14 की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 प्रत्येक के नाम दर्ज होकर सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 में रिछपाल पुत्र रामदेव जाति कुमावत के नाम सही रूप से दर्ज रही हैं। उक्त रिछपाल पुत्र रामेदव वादीया का पति है। माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, श्रीमाधोपुर में निर्णित वाद संख्या 103/1986 उनवानी भगवाना बनाम् प्रभाती वगैरह निर्णय दिनांक 25.03.1987 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2572 के भाग 1/2 का वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री जारी हो चुकी थी। उक्तानुसार वादीया ही उक्त भूमि गै0मु0 चाह मय विद्युत कनेक्शन व पम्प सेट की एकमात्र मालिक व वैध हक अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण संख्या 1124 के द्वारा रिछपाल पुत्र रामेदव जो वादीया का पति था। उसके जीवनकाल में ही उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के हक में भरकर गलत रूप से स्वीकार कर खातेदारी गलत रूप से प्रदान की गयी हैं। बल्कि रिछपाल पुत्र रामदेव की मृत्यु दिनांक 06.09.2012 को हुयी है। जो जाति से कुमावत था जिसे गलती से अहीर दर्ज कर दिया साथ ही उक्त प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 रिछपाल पुत्र सुखदेव के वारिसान हैं। इस प्रकार उक्त समस्त फर्जीयात का वादीया के हक हिस्से व अधिकार की भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम बिना किसी हक अधिकार के दर्ज की गयी है। जो विरूद्ध वादीया कलअदम बेअसर व शून्य हैं। उक्त गलत खातेदारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादीया पाबंद नहीं हैं तथा उक्त गलत इंद्राज विरूद्ध वादीया के प्रति बेअसर व शून्य हैं। उक्त गलत खातेदारी में इन्द्राज बाबत् वादीया को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही हैं चूंकि उक्त भूमि गै0मु0 चाह के रूप में है परन्तु उक्त प्रतिवादीगण उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि को मय नाल किसी दीगर व्यक्ति को अन्तरण आदि करने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं हैं। इस बाबत् वादीया, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की विधिक अधिकारणी है। वादीया दिनांक 10.06.2023 को अपने पीहर गांव दिवराला गयी तो वहां गांव में वादीया को यह बताया कि तेरे पति की उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अन्य के नाम दर्ज हो गयी हैं तब वादीया के समस्त रिकार्ड नवीन व पुराना निकलवाया तो वादीया को गलत रिकार्ड बाबत् जानकारी होने से वादीया को यह वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त वर्णित भूमि की गलत खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम व जाति गलत दर्ज होने व उसके आधार पर प्रतिवादीगण भूमियों को अन्तरण आदि करने व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दिनांक 20.06.2023 को दिये जाने से यही बिनाय दावा पैदा होकर लगातार हो रहा है। वादीया द्वारा अनुतोष इस प्रकार चाहा गया है कि भूमि खसरा नम्बर 2572 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. चाह तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 प्रत्येक के नाम दर्ज हिस्सा 1/14 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/2 की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज खातेदारी जिसमें प्रतिवादीगण की जाति कुमावत दर्ज हैं, रिकार्ड से उक्त प्रतिवादीगण का नाम व जाति कुमावत को हजफ किया जाकर वादीया के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जाकर शजरेय रिकार्ड में अमल कराया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

28/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 की तामिल होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 का ईकबालिया जवाब दावा अधिवक्ता श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 ने पेश कर वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। वादिया के मुख्य परीक्षण में साक्ष्य वादीया प्रभाती देवी पत्नी रिछपाल आयु 70 वर्ष जाति कुमावत एवं वादीया साक्ष्य में गवाह मालीराम पुत्र भगवाना जाति कुमावत के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने, प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 द्वारा ईकबालिया जवाब पेश हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादीया व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीया ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 व जमाबन्दी सम्वत 2066–2069, नामान्तकरण संख्या 1124 की सत्यप्रतिलीपी, वादीया के पति रिछपाल पुत्र रामदेव चेजारा का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, वादीया के आधार कार्ड की फोटोप्रति, साक्ष्य वादीया में प्रस्तुत साक्ष्य वादीया व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से [illegible] कृषि भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] प्रकट होता है।

उक्तानुसार वादीया साक्ष्य परीक्षण में वादीया एवं गवाहन् के द्वारा पेश लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादीया के वादपत्र में अंकित तथ्यों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore 29/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पुष्टि होती है। अतः वादीया का वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2572 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. चाह तन् ग्राम दिवाराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/14 अर्थात सम्पूर्ण में हिस्सा 1/2 की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादीया के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। शेष हिस्सा 1/2 दर्ज जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रखा जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

29/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)